भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 539

06 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

पीएलआई योजना का कार्य-निष्पादन

539. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इस्पात क्षेत्र के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के कार्य-निष्पादन और परिणामों का अवलोकन करने का विचार है और इस योजना के अंतर्गत संवितरित कुल राशि, अतिरिक्त इस्पात उत्पादन और सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पीएलआई योजना में भाग लेने वाली कंपनियों के समक्ष आई चुनौतियों और चिंताओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, विशेषकर उन मामलों में जहां निवेश को मूर्त रूप नहीं दिया गया है या प्रतिबद्धताओं को वापस ले लिया गया है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क): वित्त वर्ष 2023-24 के दूसरी तिमाही अर्थात् सितम्बर 2023 के अनुसार इस्पात क्षेत्र के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का कार्य-निष्पादन और परिणाम नीचे दिया गया है:-

प्रतिबद्ध निवेश (करोड़ रुपए)	वर्ष 2023-24 के दूसरी तिमाही तक वास्तविक निवेश (करोड़ रुपए)	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रतिबद्ध उत्पादन (000 टन)	वर्ष 2023-24 के दूसरी तिमाही तक वास्तविक उत्पादन (000 टन)	वर्ष 2023-24 के दूसरी तिमाही तक रोजगार सृजन (संख्या)	बजटीय प्रोत्साहन परिव्यय (करोड़ रुपए)	वास्तविक प्रोत्साहन परिव्यय वितरित (करोड़ रुपए)
29531	10730	935	शून्य	3785	6332	शून्य*

*(प्रोत्साहन वित्त वर्ष 2024-25 से वितरित किए जाएंगे)

(ख): पीएलआई योजना में भाग लेने वाली कंपनियों द्वारा व्यक्त की गई चुनौतियों और चिंताओं, विशेष रूप से उन मामलों में जहां निवेश को कार्यान्वित नहीं किया गया या प्रतिबद्धता वापिस ले ली गयी है, का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) पीएलआई योजना के कार्यान्वयन से संबंधित योजना के किसी भी स्तर पर आने वाली शिकायतों/समस्याओं के साथ-साथ चुनौतियों और चिंताओं का समाधान करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र का गठन किया गया है।

(ii) परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) को बड़े पैमाने पर अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की निगरानी करने के अधिदेश के साथ गठित किया गया था, जिसमें पीएलआई अनुमोदित कंपनियों द्वारा योजना अवधि के दौरान सामना किये जा रहे भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी, वन मंजूरी आदि जैसे मामलों को अपलोड करने के लिए भी अधिदेश में विस्तार किया गया है। विशेषज्ञों के लिए वीजा की सुविधा हेतु गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की गई है।

******